भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2861
दिनांक 18 मार्च, 2025 / 27 फाल्गुन, 1946 (शक) को उत्तर के लिए

आपदा राहत निधि का प्रभावी उपयोग

†2861. श्री मितेश पटेल (बकाभाई):

श्री चिन्तामणि महाराजः

श्री हँसमुखभाई सोमाभाई पटेलः

श्री विश्वेश्वर हेगड़े कागेरीः

श्री राजकुमार चाहरः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) आपदा राहत के लिए आवंटित धनराशि का प्रभावी एवं पारदर्शी उपयोग सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) क्या उक्त आपदा राहत निधि की निगरानी के लिए कोई लेखापरीक्षा तंत्र स्थापित किया जा रहा है;

(ग) क्या अन्य राज्यों से अतिरिक्त आपदा राहत निधि के लिए निवेदन लंबित हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री नित्यानंद राय)

(क) और (ख): राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति (एनपीडीएम) के अनुसार, जमीनी स्तर पर राहत सहायता के वितरण सहित आपदा प्रबंधन की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की होती है। राज्य सरकारें, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित मदों और मानदंडों के अनुसार, पहले से ही उनके पास उपलब्ध राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) से प्राकृतिक आपदाओं के मद्देनजर राहत उपाय करती हैं। केंद्र सरकार राज्य सरकारों के प्रयासों को पूरक बनाते हुए अपेक्षित लोजेस्टिक और वित्तीय सहायता प्रदान करती है। 'गंभीर प्रकृति' की आपदा के मामले में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एनडीआरएफ) से अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय दल (आईएमसीटी) के दौरे के आधार पर मूल्यांकन शामिल है।

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2861, दिनांक 18.03.2025

एसडीआरएफ/ एनडीआरएफ से सहायता के दिशा-निर्देशों के अनुसार, एसडीआरएफ/ एनडीआरएफ (आपदा-वार अनुमोदित) और निवेश के खातों को सामान्यतया राज्य के खातों के प्रभारी महालेखाकार द्वारा अनुरक्षित किया जाता है। राज्य कार्यकारी समिति (एसईसी), पूरक खातों (आपदा-वार) को ऐसे तरीके और विवरण में बनाए रखती है, जैसा कि राज्य सरकार, महालेखाकार के परामर्श से आवश्यक समझे। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, एसडीआरएफ दिशा-निर्देशों के प्रयोजनों के अनुसार अनुमोदित मदों और मानदंडों के अनुरूप हर साल इन निधियों का ऑडिट/ परफॉर्मा ऑडिट करवाएंगे। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की ऑडिट रिपोर्ट की एक प्रति राज्य सरकार द्वारा वित्त मंत्रालय और गृह मंत्रालय को प्रस्तुत की जाती है।

इसके अलावा, इन दिशा-निर्देशों के अनुसार, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से लाभार्थी-उन्मुख सहायता वितरित करना अनिवार्य है। यह आवश्यकता सुनिश्चित करती है कि राहत राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में स्थानांतरित की जाए, जिससे पारदर्शिता और दक्षता को बढ़ावा मिले।

(ग) और (घ): 2024 के दौरान प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुए नुकसान का मौके पर आकलन करने के लिए 11.03.2025 तक, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, केरल, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पुडुचेरी, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कुल 14 आईएमसीटी गठित किए गए हैं। स्थापित प्रक्रिया के अनुसार, केंद्र सरकार द्वारा आईएमसीटी की रिपोर्टों पर विचार किया जाता है। इसके अलावा, 2024-25 के दौरान एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के तहत आवंटित और जारी किए गए धन का विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।

******

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2861, दिनांक 18.03.2025

अनुलग्नक

वर्ष 2024-25 (28.02.2025 तक) के दौरान राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) और राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एनडीआरएफ) के अंतर्गत निधियों के आवंटन और रिलीज का राज्यवार विवरण

(करोड़ रुपए में)

क्रम संख्या	राज्य	एसडीआरएफ का आवंटन			एसडीआरएफ से जारी धनराशि		एनडीआरएफ से जारी धनराशि
		केंद्र अंश	राज्य अंश	कुल योग	प्रथम किश्त	द्वितीय किश्त	
1.	आंध्र प्रदेश	1036.00	344.80	1380.80	518.00	518.00	--
2.	अरुणाचल प्रदेश	231.20	25.60	256.80	115.60	--	--
3.	असम	716.00	79.20	795.20	358.00	358.00	--
4.	बिहार	1311.20	436.80	1748.00	655.60	655.60	--
5.	छत्तीसगढ़	400.00	133.60	533.60	--	--	--
6.	गोवा	10.40	3.20	13.60	5.20	--	--
7.	गुजरात	1226.40	408.80	1635.20	600.00#	--	--
8.	हरियाणा	455.20	151.20	606.40	227.60	227.60	--
9.	हिमाचल प्रदेश	378.40	41.60	420.00	189.20	189.20	66.92
10.	झारखंड	526.40	175.20	701.60	500.80#	--	--
11.	कर्नाटक	732.00	244.00	976.00	366.00	--	3454.22
12.	केरल	291.20	96.80	388.00	145.60	145.60	--
13.	मध्य प्रदेश	1686.40	561.60	2248.00	843.20	843.20	--
14.	महाराष्ट्र	2984.00	994.40	3978.40	1492.00	1492.00	--
15.	मणिपुर	40.00	4.00	44.00	38.80#	11.20	--
16.	मेघालय	60.80	6.40	67.20	59.60#	--	--
17.	मिजोरम	43.20	4.80	48.00	21.60	21.60	7.56
18.	नागालैंड	38.40	4.00	42.40	19.20	19.20	170.99
19.	उड़ीसा	1485.60	495.20	1980.80	742.80	742.80	--
20.	पंजाब	458.40	152.80	611.20	229.20	--	--
21.	राजस्थान	1372.00	456.80	1828.80	686.00	686.00	--
22.	सिक्किम	47.20	4.80	52.00	23.60	23.60	221.12
23.	तमिलनाडु	944.80	315.20	1260.00	472.40	472.40	276.10
24.	तेलंगाना	416.80	138.40	555.20	208.40	208.40	--
25.	त्रिपुरा	63.20	7.20	70.40	31.60	40.00	174.97
26.	उत्तर प्रदेश	1791.20	596.80	2388.00	1748.40#	--	--
27.	उत्तराखंड	868.00	96.00	964.00	434.00	--	--
28.	पश्चिम बंगाल	936.00	312.00	1248.00	468.00	468.00	--
कुल योग		**20550.40**	**6291.20**	**26841.60**	**11200.40**	**7122.40**	**4371.88**

= इसमें पिछले वर्ष का बकाया शामिल है।

******